तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	

Board of Revenue For Rajasthan Ajmer
सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

निगरानी/टी.ए./606/2005/ करौली
चौथी व अन्य बनाम जमील व अन्य

एकल पीठ
श्री धूकलराम कसवां सदस्य

उपस्थित :
श्री जे.के.पारीक अभिभाषक प्रार्थी
श्री समीर अहमद अभिभाषक अप्रार्थी

निर्णय

यह निगरानी उपखण्ड अधिकारी सपोटरा के आदेश दिनांक 24-11-04 के विरूद्ध राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955(संक्षेप में अधिनियम) की धारा 230 के अन्तर्गत प्रस्तुत की गई है। आक्षेपित आदेश द्वारा अधीनस्थ न्यायालय ने प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र बाबत नियुक्त करने मौका कमिश्नर को खारिज किया है।

उभय पक्ष के विद्वान अभिभाषकगण की बहस सुनी गई।

प्रार्थी के विद्वान अभिभाषक ने तर्क दिया कि दावे का सही निर्णय करने के लिये मौका कमिश्नर नियुक्त किया जाना अत्यधिक आवश्यक है जिससे वास्तविक कब्जे की रिपोर्ट प्राप्त हो सके। विवादग्रस्त आराजी पर प्रार्थीगण का कब्जा काश्त है तथा प्रार्थीगण के खाते की भूमि पर बिजली की मोटर लगी हुई है उसमें डांगर इस खेत तक बनी हुई है जो मौके पर मौजूद है। इसलिये प्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 26 नियम 9 जाब्ता दीवानी स्वीकार किया जावे। अपने कथन के समर्थन में ए आई आर 1992 ए.पी. पेज 300, ए आई आर 2003 एच पी पेज 87, 2016(2) डी एन जे राज. पेज 817, 2012(1) डी एन जे राज. पेज 364, 2015(2) आर आर टी पेज 890,2017(2) आर आर टी पेज 857, ए आई आर 1996 केरला पेज 276 की नजीरें पेश की।

अप्रार्थीगण के विद्वान अभिभाषक ने अपनी बहस में बताया कि प्रार्थी प्रतिवादी को अपना कब्जा दस्तावेजी व मौखिक साक्ष्य से साबित करना है और कब्जे काश्त की स्थिति के बाबत मौका कमिश्नर नियुक्त नहीं किया जा सकता। मौका कमिश्नर नियुक्त कर किसी पक्षकार के पक्ष में शहादत एकत्रित नहीं कर सकता है। इसलिये अधीनस्थ न्यायालय ने जो कमिश्नर नियुक्त करने का प्रार्थना पत्र खारिज किया

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज **निगरानी/टी.ए./606/2005/ करौली** **चौथी व अन्य बनाम जमील व अन्य**	
	है वह विधिसम्मत है।अपने कथन के समर्थन में 1998(2) डब्लू एल सी राज.पेज 396, आर एल डब्लू2005(4) पेज 2367, डी एन जे 2012(3) राज. पेज 1725 की नजीरें पेश की। हमने उभय पक्ष के विद्वान अभिभाषकगण की बहस पर मनन किया एवं निगराधीन आदेश का अवलोकन किया तथा प्रस्तुत न्यायिक दृष्टान्तों का भी भली भांति अध्ययन किया। विद्वान अभिभाषक प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत न्यायिक दृष्टान्त ए आई आर 1992 आन्ध्रप्रदेश 300 में यह सिद्धान्त प्रतिपादित किया गया है कि आदेश 26 नियम 9 जाब्ता दीवानी के प्रार्थना पत्र पर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित आदेश के विरूद्ध निगरानी पोषनीय है। ए आई आर 2003 हिमांचल प्रदेश पेज 87 में यह सिद्धान्त प्रतिपादित किया गया है कि न्यायालय मौके की भौतिक जानकारी के लिये सुओ मोटो कमिश्नर नियुक्त कर सकता है। 2016(2) डी एन जे पेज 817 में माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय ने विचारण न्यायालय द्वारा मौका कमिश्नर नियुक्ति प्रार्थना पत्र को खारिज करना गलत माना और कमिश्नर नियुक्त करने का विचारण न्यायालय को निर्देश दिया जिसमें यह मत व्यक्त किया गया है कि नाला याची की भूमि में बनाया है न कि स्वीकृत स्थान पर। बिना दर्शाये प्रार्थना पत्र खारिज किया कि कैसे यह साक्ष्य एकत्रित करना माना जावेगा। इस आधार पर कमिश्नर नियुक्त करने का विचारण न्यायालय को निर्देश दिया। 2012(1) डी एन जे राज. पेज 364 में माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय ने राजस्व अभिलेख अनुसार रिपोर्ट पेश करने हेतु तहसीलदार को कमिश्नर नियुक्त किया जिसे उचित माना है। 2015(2) आर आर टी पेज 890 में यह सिद्धान्त प्रतिपादित किया गया है कि आदेश की पालना/अपालना कमिश्नर रिपोर्ट से निर्णित की जा सकती है। कब्जे की रिपोर्ट नहीं मंगाई जा सकती। ए आई आर 1996केरला 276 में माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने कमिश्नर नियुक्ति को इसलिये सही माना क्योंकि वाद स्थाई निषेधाज्ञा का था जिसमें वादी द्वारा भूमि के डीमार्केशन हेतु कमिश्नर नियुक्ति की मांग की गई थी।	

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज **निगरानी/टी.ए./606/2005/ करौली** **चौथी व अन्य बनाम जमील व अन्य**	
	विद्वान अभिभाषक प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत उक्त न्यायिक दृष्टान्तों का परिशीलन करने के बाद हम इस निष्कर्ष पर पहुंचते हैं कि उक्त न्यायिक दृष्टान्त इस प्रकरण पर लागू नहीं होते हैं। इस प्रकरण में प्रार्थी प्रतिवादी द्वारा प्रार्थनापत्र बाबत मौका कमिश्नर इस आधार पर प्रस्तुत किया कि विवादित भूमि में उसकी फसल खडी है। इसलिये कब्जे की वास्तविक स्थिति जानने के लिये तहसीलदार को मौका कमिश्नर नियुक्त किया जावे। कब्जे काश्त की स्थिति के बाबत मौका कमिश्नर नियुक्त नहीं किया जा सकता। मौका कमिश्नर नियुक्त कर किसी पक्षकार के पक्ष में शहादत एकत्रित नहीं की जा सकती है। वर्तमान प्रकरण कृषि भूमि पर कब्जे से सम्बन्धित है। वादग्रस्त आराजी पर भौतिक रूप से वास्तव में किस पक्षकार का कब्जा है इस बाबत दस्तावेजी एवं मौखिक साक्ष्य से पक्षकार अपना कब्जा सिद्ध कर सकते हैं। जहां पर प्रकरण में कोई दस्तावेजी साक्ष्य उपलब्ध न हो वहां पर मौका कमिश्नर नियुक्त किया जा सकता है। वर्तमान प्रकरण में पक्षकारों के पास अपना कब्जा सिद्ध करने के लिये विकल्प उपलब्ध हैं। विचारण न्यायालय के समक्ष जबाब दावा प्रस्तुत हो चुका है। दावा एवं जबाब दावा के आधार पर तनकीयात कायम की जा चुकी हैं। पक्षकारों को अपनी साक्ष्य प्रस्तुत करने का अवसर प्रदान किया जावेगा जिसमें पक्षकारान अपना कब्जा दस्तावेजी एवं मौखिक साक्ष्य से सिद्ध कर सकते हैं। इसलिये अधीनस्थ न्यायालय द्वारा मौका कमिश्नर नियुक्त करने का जो प्रार्थना पत्र खारिज किया है वह विधिसम्मत है। इस सम्बन्ध में अभिभाषक अप्रार्थी द्वारा प्रस्तुत निम्न न्यायिक दृष्टान्त सारगर्भित हैं– WLC Raj. 1998(2) page 396 : Civil Procedure Code, O. 26, R. 9, 10 - Commission to ascertain possession over plot - Fact in issue as to which party has been in possession - Written statement already filed - Disputed fact can be adjudicated upon by court after framing issue and recording evidence of parties- Assistance of Commissioner for such purpose neither necessary nor justified..	

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज **निगरानी/टी.ए./606/2005/ करौली** **चौथी व अन्य बनाम जमील व अन्य**	
	RLW 2005(4) page 2367 : C.P.C., Order 26, Rule 9 read with Sec. 151 - Application for appointment of Commissioner to ascertain the fact whether any construction has been demolished on the disputed plot in question or not? - Application rejected by trial court - Trial Court observed that the evidence of plaintiff and defendant except one evidence of defendant has been completed and at this stage the application has been moved to create evidence- Held- Trial Court rightly rejected the application as it did not think it proper to appoint the commissioner because oral as well as documentary evidence was sufficient to resolve the dispute. DNJ 2012(3) (Raj.) page 1725 : Civil Procedure Code, 1908 - O. 39, R. 7 - Application for inspection of site by the Commissioner rejected- Suit for permanent injunction- Purpose of filing application is to collect the evidence in favour of the petitioner defendant- Factum of possession is required to be proved by evidence- Finding does not suffer from any perversity or illegality- Held, Petition is liable to be dismissed. उपरोक्त विवेचन के अनुसरण में प्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत यह निगरानी खारिज की जाती है। विचारण न्यायालय के समक्ष लम्बित वाद में अग्रिम कार्यवाही हेतु पक्षकरान को दिनांक 16-4-2018 को उपस्थित रहने के लिये जरिये अभिभाषक पाबन्द किया जाता है। निर्**णय खुले न्यायालय में सुनाया गया।** **(धूकलराम कसवां)** **सदस्य**	

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज **<u>निगरानी/टी.ए./606/2005/ करौली</u>** **चौथी व अन्य बनाम जमील व अन्य**	